

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

शिव रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)
सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित)
सभी कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित),
भवन निर्माण विभाग।

पटना, दिनांक- 27/12/26

विषय :- नवनियुक्त कनीय अभियंताओं (याँत्रिक / विद्युत / असैनिक) का शहरी परिवहन भत्ता की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कतिपय कार्यपालक अभियंताओं / नियंत्री पदाधिकारी द्वारा नवनियुक्त कनीय अभियंताओं का शहरी परिवहन भत्ता स्वीकृत करने अथवा स्वीकृति हेतु मार्गदर्शित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग, बिहार, पटना का संकल्प संख्या-12414 दिनांक-31.12.2009 (छायाप्रति संलग्न) की कंडिका-6 में स्पष्ट किया गया है कि-“किन पदाधिकारियों को शहरी परिवहन भत्ता (City Transport Allowance) मिलेगा, इसकी स्वीकृति सचिवालय स्तर पर विभागीय सचिव और क्षेत्रीय स्तर पर विभागाध्यक्ष / नियंत्री पदाधिकारी द्वारा गाड़ी की उपलब्धता की जाँच करने के बाद दी जायेगी।”

विदित हो कि वित्त विभाग, बिहार, पटना का संकल्प संख्या-8043 / वि० दिनांक-11.10.2017 की कंडिका-3(B)(i) में वेतन स्तर-7 के लिए पटना (यू० ए०) एवं अन्य नगर निगम में शहरी परिवहन भत्ता क्रमशः ₹3000+DA तथा ₹1000+DA अनुमान्य किया गया है।

अतएव अनुरोध है कि वित्त विभाग, बिहार, पटना का संकल्प संख्या-12414 दिनांक-30.12.2009 तथा संकल्प संख्या-8043 / वि० दिनांक-11.10.2017 में निहित प्रावधान के तहत कनीय अभियंताओं को शहरी परिवहन भत्ता अपने स्तर से नियमानुसार स्वीकृत करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,



(शिव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव।



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 चौष 1931 (श०)
पटना, सोमवार, 4 जनवरी 2010
(सं० पटना 8)

सं०३ए-२-वे०पु०(परि०भत्ता)-२२/२००९-१२४१४
वित्त विभाग

संकल्प
३१ दिसम्बर २००९

विषय:- पटना (यू.ए.) में पदस्थापित राज्य के सरकारी सेवकों को शहरी परिवहन भत्ता (City Transport Allowance) की स्वीकृति के संबंध में ।

केन्द्रीय पन्चम वेतन आयोग की अनुसंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण किया गया था । उक्त के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा भत्ते आदि पर सम्यक् अनुशासा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति का गठन किया गया ।

२. वेतन समिति की अनुशासा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा पटना (यू.ए.) में पदस्थापित सरकारी सेवकों के लिए परिवहन भत्ता एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ता को एकीकृत कर निम्नांकित दर से शहरी परिवहन भत्ता (City Transport Allowance) की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

वेतनमान (अपुनरीक्षित)	वर्तमान दर (परिवहने भत्ता+नगर क्षतिपूर्ति भत्ता)	पुनरीक्षित दर (शहरी परिवहन भत्ता)
८०००-१३५०० एवं अधिक	४०० रु० प्रतिमाह+१८० रु० प्रतिमाह	१००० रु० प्रतिमाह
६५००-१०५०० से ७५००-१२०००	२०० रु० प्रतिमाह+१०० रु० प्रतिमाह	७०० रु० प्रतिमाह
५५००-९००० एवं उससे कम	७५ रु० प्रतिमाह+६५ रु० प्रतिमाह	४०० रु० प्रतिमाह

३. पटना (यू.ए.) में पदस्थापित नेत्रहीन एवं शरीर के आंगे निचले हिस्से की विकलांगता के चलते चलने-पारने से मजबूर विकलांग कर्मियों के लिए यह राशि दुगुने दर से भुगतिय होगी ।

बिहार गजट (असाधारण), 4 जनवरी 2010

2

4.(i) चलने-फिरने से मान्यूर ऐसे विकलांग कर्मी को यह भत्ता सरकारी अस्पताल के आर्थोपेडिक विभाग के विभागाध्यक्ष के प्रमाण-पत्र पर अनुमान्य होगा।

(ii) नेत्रहीन कर्मियों को यह भत्ता सरकारी अस्पताल के चक्षु रोग विशेषज्ञ द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र के आधार पर अनुमान्य होगा।

5. परिवहन भत्ता एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ता को एकीकृत करने के फलस्वरूप नगर क्षतिपूर्क भत्ता विलोपित किया जाता है।

6. राज्य सरकार के ऐसी पदाधिकारी जिन्हें सरकारी कार्य हेतु सरकारी वाहन उपलब्ध है, वे आवास से कार्यालय तक आने जाने के लिए भी वाहन का उपयोग कर सकेंगे। ऐसी पदाधिकारियों को परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।

नोट:- किन पदाधिकारियों को शहरी परिवहन भत्ता (City Transport Allowance) मिलेगा इसकी

स्वीकृति सचिवालय स्तर पर विभागीय सचिव और क्षेत्रीय स्तर पर विभागाध्यक्ष/नियंत्री पदाधिकारी द्वारा गाड़ी की उपलब्धता की जाँच करने के बाद दी जायेगी।

स्वीकृति देने के पूर्व राहम पदाधिकारी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि "पूल व्यवस्था" करके भी पदाधिकारियों को आवास से कार्यालय तक सरकारी वाहन द्वारा आने जाने की व्यवस्था संभव नहीं है। प्रत्येक मामले में एतद् विषयक आदेश निर्गत होने के पश्चात् ही राहम प्राधिकार द्वारा प्राधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा।

7. यह भत्ता अयकाश, प्रशिक्षण, भ्रमण आदि के कारण लगातार 30 दिनों से अधिक समय तक कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में देय नहीं होगा।

8. जहाँ तक उच्च न्यायालय/बिहार विधानसभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पदाधिकारियों को शहरी परिवहन भत्ता (City Transport Allowance) देने का प्रश्न है, इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधानसभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर संबंधित सचिवालय/कार्यालय द्वारा आदेश निर्गत किया जाएगा।

9. यह आदेश दिनांक 1 जनवरी 2010 से प्रभावी होगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रवीन्द्र पवार,
सचिव (संसाधन)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 8-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>